न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,

सदस्य.

.....

प्रकरण कमांक आर.एन./4–2/आर/741/95 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.8.94 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना अपील प्रकरण कमांक 155/93–94.

.....

रामलखन पुत्र नवाब तेली
निवासी ग्राम सांटा परगना जौरा
जिला मुरैना म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

मातादीन पुत्र चौखरिया नाई,
निवासी ग्राम सांटा तहसील जौरा,
जिला मुरैना म.प्र.

——— अनावेदक

.....

श्री एस. के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक ।

श्री ए.के. अग्रवाल, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9 – 9 –2015 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक अपील 155/93–94 में पारित आदेश दिनांक 31–8–94 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम ग्राम सांटा में कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण तहसील जौरा के न्यायालय में पंजीबद्ध हुआ । विचारण न्यायालय ने आवेदक एवं अनावेदक दोनों को कोटवार के पद पर नियुक्ति के योग्य पाया तथा अनावेदक मातादीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने और उसके अस्थाई कोटवार पद पर कार्य करने के अनुभव तथा उसके विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण उसकी नियुक्ति स्थाई रूप से की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस.डी.ओ. के

न्यायालय में अपील की जो उन्होंने स्वीकार की एवं आवेदक को कोटवार नियुक्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त किया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र फर्जी है और जो फर्जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त कर सकता है उसका चरित्र सही नहीं माना जा सकता और ऐसे व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश एक दूसरे के विपरीत थे तब अपर आयुक्त को प्रकरण में उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया, इस कारण अपर आयुक्त का आदेश निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण कोटवारी नियुक्ति का है । प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक को कोटवार नियुक्त किया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को कोटवार नियुक्त किया । द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने एस. डी.ओ. के आदेश को निरस्त किया है तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि मात्र प्राचार्य के पत्र के आधार पर बिना जांच किए अनावेदक के चरित्र को संदिग्ध नहीं माना जा सकता । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का निष्कर्ष उचित है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर